न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 250 रान 2020

अनवान :–

1. ख्यालीराम पुत्र प्रेम जाति जाट साकिन भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अनिता पुत्री प्रेम पत्नी राजेन्द जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मंजु पुत्री दलीप कुमार पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. पुष्पा पुत्री दलीप कुमार पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. अशोक पुत्र दलीप कुमार पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. दलीप कुमार पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी ।
6. सुरजाराम पुत्र प्रेम जाति जाट निवासी भुकरका तहसील नोहर
7. महावीर प्रसाद पुत्र प्रेम जाति जाट निवासी भुकरका तहसील नोहर।
8. मनीराम पुत्र प्रेम जाति जाट निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. रधुवीर पुत्र प्रेम जाति जाट निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
11. मैनेजर स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा भुकरका तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 02/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 744/335 के खसरा न0 329 की 4.6290हैक , खसरा न0 333/2 की 3.8440हैक कुल 8.4730हैक जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 सयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 827/824 के खसरा न0 443 की 4.2870हैक भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम से गैरखातदार दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता प्रेम वल्द मोमनराम के नाम से दर्ज थी वादी के पिता प्रेम वल्द मोमनराम के देहान्त होने पर प्रेम वल्द मोमनराम की भूमि के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया हुए प्रेम पुत्र मोमनराम की एक पुत्री कलावती का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है इसप्रकार प्रेम वल्द मोमनराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 हुए जिनके नाम से वाद भूमि उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहने है एवं प्रेम पुत्र मोमनराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रेम वल्द मोमनराम की मृतक पुत्री कलावती के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जो वादी के भाई बहन/मृतक बहन के वारिसान है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व उनके पूर्वज प्रेम वल्द मोमनराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 11 फोरमल पक्षकार है जवाब की आवश्यकता नही।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 744/335 के खसरा न0 329 की 4.6290हैक , खसरा न0 333/2 की 3.8440हैक कुल 8.4730हैक जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 सयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 827/824 के खसरा न0 443 की 4.2870हैक भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम से गैरखातदार दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता प्रेम वल्द मोमनराम के नाम से दर्ज थी वादी के पिता प्रेम वल्द मोगनराम के देहान्त होने पर प्रेम वल्द मोमनराम की भूमि के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया हुए प्रेम पुत्र मोमनराम की एक पुत्री कलावती का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है इसप्रकार प्रेम वल्द मोमनराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 हुए जिनके नाम से वाद भूमि उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहने है एवं प्रेम पुत्र मोमनराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रेम वल्द मोमनराम की मृतक पुत्री कलावती के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनो के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 744/335 के खसरा न0 329 की 4.6290हैक ,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

खसरा न0 333/2 की 3.8440हैक कुल 8.4730हैक जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 सयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 827/824 के खसरा न0 443 की 4.2870हैक भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम से गैरखातदार दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पुर्वज प्रेम वल्द मोमनराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है प्रेम वल्द मोमनराम के देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। अर्थात विरासतन से वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हुई है ।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 827/824 के खसरा न0 443 की 4.2870हैक भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम से गैरखातदार दर्ज है गैरखातेदारी भूमि को खातेदारी दर्ज करवाने के उपरान्त ही किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है शेष भूमि खातेदारी होने के कारण उक्तानुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर वस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सावुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 744/335 के खसरा न0 329 की 4.6290हैक , खसरा न0 333/2 की 3.8440हैक कुल 8.4730हैक में से प्रतिवादी संख्याा 1 ता 5 का नाम कत्लमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को वहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6 - 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :—

1. ख्यालीराम पुत्र प्रेम जाति जाट साकिन भुकरका तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 अनिता पुत्री प्रेम पत्नी राजेन्द जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. गंजु पुत्री दलीप कुमार पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. पुष्पा पुत्री दलीप कुमार पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. अशोक पुत्र दलीप कुमार पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. दलीप कुमार पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी ।
6. सुरजाराम पुत्र प्रेम जाति जाट निवासी भुकरका तहसील नोहर
7. महावीर प्रसाद पुत्र प्रेम जाति जाट निवासी भुकरका तहसील नोहर।
8. मनीराम पुत्र प्रेम जाति जाट निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. रघुवीर पुत्र प्रेम जाति जाट निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
11. मैनेजर स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा भुकरका तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 250 सन 2020 निर्णय दिनांक– 02/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 744/335 के खसरा न0 329 की 4.6290हैक , खसरा न0 333/2 की 3.8440हैक कुल 8.4730हैक में से प्रतिवादी संख्याा 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को वहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner